20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

रिव्यू-2383-II-16

प्रकरण क्रमांक /16रिव्यू

लगनी बाई पत्नि श्री गजानन्द पटेल
निवासी – अनूपपुर तहसील व जिला
अनूपपुर (म.प्र.) ........आवेदिका

दिनांक 20.7.16 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि. द्वारा प्रस्तुत।
20.7.16
S O

बनाम

1. मध्य प्रदेश राज्य
2. श्रीमती हेमा गर्ग पत्नी वेदप्रकाश गर्ग

निवासी–अनूपपुर वार्ड नं.9, तहसील व

जिला अनूपपुर ..........अनावेदकगण

<u>रिव्यू अंतर्गत धारा 51 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश राजस्व मण्डल सदस्य श्रीमती डॉ. मधु खरे के न्यायालय के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 4102 III /15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.01.2016 ।</u>

Brijmohan
प्रदीप श्रीवास्तव
एड.

माननीय महोदय,

आवेदक रिव्यू निम्न प्रकार से प्रस्तुत करता है :–

1. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा विवादित भूमि को ग्राम परसावर तहसील व जिला अनूपपुर म.प्र. में स्थित आराजी खसरा नं0 817 रकवा 1.617 है. भूमि के अंश रकवा 0.202 हैक्टेयर भूमि को निगरानीकर्ता से भूमि स्वामी उत्तरवादी के जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 को क्रय किया था।

2016 July-1 119

# राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2383—दो / 16 जिला— अनूपपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 01.8.17 | आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव को समय समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता आज उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।<br><br>सदस्य | |